



सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार

हिट एंड रन मोटरयान दुर्घटना मुआवजा योजना



अज्ञात वाहन से दुर्घटना कारित होने
पर पीड़ित को मिलेगा मुआवजा

मुआवजा राशि (Compensation Amount)	
दुर्घटना की स्थिति	मुआवजा की राशि
मृत्यु (Death)	2,00,000/- (दो लाख रूपये)
गंभीर चोट (Grievous Injury)	50,000/- (पचास हजार रूपये)

कौन कर सकता है आवेदन :

- मृतक के परिजन - पति/पत्नी / माता/ पिता/ पुत्र/ पुत्री.
- गंभीर रूप से घायल व्यक्ति स्वयं.

आवेदन की प्रक्रिया :

1. नजदीकी थाने में सूचना दे.
2. निर्धारित आवेदन पत्र भरे एवं आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें.
3. आवेदन दांवा जाँच अधिकारी (संबंधित SDM कार्यालय) में जमा करें.
4. सत्यापन बाद मुआवजा राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी.

आवश्यक दस्तावेज :

- एफ.आई.आर. की प्रति.
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट / चिकित्सकीय प्रमाणपत्र.
- मृतक/ घायल की पहचान एवं पता प्रमाणपत्र.
- दावाकर्ता की पहचान एवं पता प्रमाणपत्र.
- परिजन का संबंध प्रमाणपत्र (राशनकार्ड/ उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र).
- बैंक पासबुक की प्रति.

अधिक जानकारी के लिए:

- जिला परिवहन अधिकारी / यातायात प्रभारी / पुलिस थाना प्रभारी से संपर्क कर सकते हैं.

(सावधानी हटी, दुर्घटना घटी सुरक्षित चले, जीवन बचाए)



छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग

